HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13112/2026
CNR: RJHC020807632026 | URN: CRLMB / 24242U / 2026

Trilok Verma S/o Lakhan Singh, Aged About 20 Years, R/o Baldeval Bas, Police Station Sikri, District Deeg (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amitesh Rana for Mr. Suresh Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना अरावली विहार, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 312/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 307, 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि तथाकथित मारपीट में पीड़ित को जो चोटें आई हैं, वे साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुआ है। उनका तर्क है कि यदि वास्तव में पीड़ित को अपहरण करके ले जा रहे थे, तो उसे बांधकर ले जाते और गाड़ी से भी नहीं उतारा जाता। उनका तर्क है कि वास्तविकता में पक्षकारों के बीच व्यावसायिक लेन–देन को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद था। प्रार्थी दिनांक 04.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त उस कार का चालक था, जिसमें पीड़ित को अपहरण करके ले जाया जा रहा था। प्रार्थी पर आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त के साथ मिलकर पीड़ित को स्टेशन से निर्जन स्थान पर ले जाकर मारपीट की और उससे मोबाईल, बैग, लेपटॉप व 50,000 रूपये नकद छीन लिये। उनका तर्क है कि वाहन कार के स्वामी ने दिये गये नोटिस के जवाब में प्रार्थी और सहअभियुक्त लोकेश को कार देना बताया है तथा पीड़ित ने भी अपने कथन में रेलवे स्टेशन पर उतरकर कार चालक प्रार्थी त्रिलोक से ही वार्तालाप होना अपने कथन में प्रकट किया है। एक अन्य मामला प्रार्थी के विरूद्ध इसी प्रकृति का संस्थित है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 140(3), 307, 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़ित को प्लास्टिक स्क्रेप के व्यापार का झांसा देकर अलवर रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से गाड़ी में बिठाकर उसे निर्जन स्थान पर ले गये और मारपीट की तथा गन दिखाकर उससे उसका मोबाईल, लेपटॉप, बैग, 50,000 रूपये छीन लिये। वाहन कार के स्वामी ने उसे दिये गये नोटिस के जवाब में तथा अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में कार लोकेश व प्रार्थी त्रिलोक को उसके लड़के द्वारा दिया जाना प्रकट किया है। पीड़ित ने भी अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में कार चालक अर्थात् प्रार्थी–अभियुक्त से कार में वार्तालाप करना प्रकट किया है। पीड़ित ने शिनाख्तगी परेड़ के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त की पहचान भी की है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जो इसी प्रकृति का है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/60/VISHAL SHARMA